भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3203

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-85 का निर्माण

†3203. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल उच्च न्यायालय में मामलों पर बहस करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पैनल में शामिल वकील कौन हैं;

(ख) क्या वकीलों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कोई कार्यनिष्पादन संपरीक्षा (परीक्षा) की गई है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 85, कोच्चि-मुन्नार राजमार्ग के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के लिए एनएचएआई को दिए गए उच्च न्यायालय के निर्देश की जानकारी है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि एनएचएआई द्वारा नियुक्त वकील मामले पर बहस करने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुए, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केरल उच्च न्यायालय में एनएचएआई के वकील कुल कितनी बार अनुपस्थित रहे हैं या मुकदमा हार गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने माननीय केरल उच्च न्यायालय में अपने मामलों की पैरवी के लिए 22 अधिवक्ताओं और 3 कानूनी फर्मों को पैनलबद्ध किया है।

(ख) एनएचएआई मामलों के आवंटन विवरण के साथ पैनलबद्ध अधिवक्ताओं की एक सूची रखता है। एनएचएआई के दिनांक 20.06.2025 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जांच के बाद वार्षिक आधार पर पैनलबद्धता को अद्यतन करते समय एनएचएआई के पैनलबद्ध अधिवक्ताओं के कार्य निष्पादन पर विचार किया जाता है।

(ग) जी, हाँ। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 30391/2024 में पारित अपने दिनांक 11.07.2025 के आदेश द्वारा राज्य सरकार और एनएचएआई को राष्ट्रीय राजमार्ग-85 (नेरयमंगलम-वलारा खंड) के दोनों ओर की भूमि पर पेड़ों की कटाई और गैर-वन गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, माननीय न्यायालय ने मुख्य सचिव को इन मुद्दों पर तुरंत जांच करने का निर्देश दिया है। एनएचएआई ने डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 30391/2024 में पारित उच्च न्यायालय के दिनांक 11.07.2025 के आदेश के नामे 28.07.2025 को एक समीक्षा याचिका दायर की है।

(घ) भारत के उप सॉलिसिटर जनरल द्वारा अधिकृत अधिवक्ता सरकार और एनएचएआई की ओर से उपस्थित हुए।

(ङ) अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय में उपस्थित न होने की निगरानी के लिए कोई केंद्रीय कार्य-तंत्र नहीं है।

******